रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, अगस्त 12—अगस्त 18, 2018, शनिवार/श्रावण 21—श्रावण 27, 1940
No. 19] NEW DELHI, AUGUST 12—AUGUST 18, 2018, SATURDAY/SRAVANA 21—SRAVANA 27, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.नि.आ. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय, वर्ग-3 तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1972 जहां तक उसका संबंध नक्शानवीश श्रेणी-1 और नक्शानवीश श्रेणी-2 और (ii) रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय नक्शानवीश समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2017 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में ज्येष्ठ नक्शानवीश के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय,ज्येष्ठ नक्शानवीश, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ नक्शानवीश	19* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 रु.) में स्तर-6

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**अनिवार्य:** (क) मान्यताप्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या निजी सूचीबद्ध संगठनों से कंप्यूटर एडिड डिजायन और ड्रॉफ्टिंग में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडिड डिजायन से सॉफ्टवेयर से संबंधित छः मास का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में

		तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी। (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन खण्ड (आयुध्यादि), खमरिया -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-I	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य 3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-II वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय –सदस्य	

[फा. सं. 2545/भर्ती नियम(समूह 'ख' ज्येष्ठ नक्शानवीश)/डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (हाल)]

इंद्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 31st July, 2018

S.R.O. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of - (i) the Directorate of Technical Development and Production (Air) Organisation Class III Technical, Scientific and other Non-Ministerial posts Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the posts of Draughtsman Grade-I and Draughtsman Grade-II and (ii) the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Draughtsman, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2017 except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Draughtsman in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Senior Draughtsman, Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix .—**The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other related matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Draughtsman	19*(2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -6 in the pay matrix (Rs 35,400-1,12,400)	Not-applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years. **Note 1**. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	**Essential :-** (i) Diploma in Mechanical Engineering from a recognised institute. (ii) Two years' experience in Computer Aided Design and Drafting from Central Government or State Government or Union Territory Administration or Statutory or Autonomous Organization or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutes or Listed private organizations. **Desirable :** Six months experience on the software relating to Automated Computer Aided Design. **Note 1** : The qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	**By direct recruitment.** **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central/State Governments/Union Territories:- (A) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Govt shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria – Chairman 2. Senior Scientific Officer-I from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member 3. Senior Scientific Officer-II from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member	Consultation withUPSC is not necessary.

[F. No. 2545/RRs(Gp 'B' Sr Draughtsman/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

का.नि.आ. 72.—केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, खेतड़ी, जिला झुन्झुनु, राजस्थान के पास की भूमि के उपयोग और उपभोग करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों को अधिरोपित करना आवश्यक समझती है और यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में समाविष्ट भूमि को भवनों और अन्य रूकावटों से मुक्त रखा जाए।

2. उक्त भूमि की रेखाचित्र रेखांक जिला कलेक्टर का कार्यालय झुन्झुनु और वन विभाग झुन्झुनु, जिला झुन्झुनु, राजस्थान में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, खेतड़ी, जिला झुन्झुनु राजस्थान की चारदीवारी के बाहरी मुंडेर की चोटी से एक हजार गज की दूरी के भीतर स्थित रेखाचित्र में जोन-I और जोन-II के रूप में सूचित क्षेत्र में समाहित सभी भूमि।

[सं. डीसीडब्ल्यूई/07/34079/डब्ल्यूडीए/खेतड़ी]

हर्षा रानी, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2018

S.R.O. 72.—In the exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government considers it necessary to impose the restrictions specified in clause (b) of section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land lying in the vicinity of the Defence Research Development Organisation, Khetri, Distt Jhunjhunu, Rajasthan, and hereby declare that the land comprised in the area specified in the Schedule annexed hereto shall be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Distt Collector Jhunjhunu and Forest Deptt Jhunjhunu, Distt Jhunjhunu, Rajasthan.

SCHEDULE

All the land comprised in the area denoted as Zone I & Zone II in the sketch lying within a distance of one thousand yards from the crest of the outer parapet of the boundary wall of the Defence Research Development Organisation, Khetri, Distt Jhunjhunu, Rajasthan.

[No. DCWE/07/34079/WDA/Khetri]

HARSHA RANI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.31 12:41:40 +05'30'